न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 40/2023

अशोक कुमार पुत्र सीताराम माली, निवासी मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुन। —रेस्पोडेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम अशोक कुमार मिसल नम्बर 47/2023 अर्न्तगत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 18.10.2023।

उपस्थितिः—

1. श्री विक्रम दुलड़...........................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 13.5.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी को ग्राम मलसीसर की भूमि खसरा नम्बर 1478/1448 में 0.0005 हैक्टर भूमि पर लोहे की आलमारी (टिन) रखकर अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया है। हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की है उस जगह अपीलार्थी तथा अपीलार्थी के पूर्वज जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगा रहे है प्याऊ के घड़े आदि को सुरक्षित रखने के लिए लोहे का जाल टाईप बना रखा है कोई पुख्ता निर्माण नही किया है अपीलार्थी के विरूद्ध की गई 91 की कार्यवाही द्वेषपूर्ण है तथा अपीलार्थी को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही है। अपीलार्थी द्वारा घड़े

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:24 IST
Reason: SelfAttested

आदि को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया जाल है। अपीलार्थी द्वारा घड़े आदि को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया जाल किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से नही है बल्कि परोपकार की भावना से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। जिसके बाबत हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट की है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा लेकिन दिनांक 18.10.2023 को अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो खिलाफ कानुन व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को ग्राम मलसीसर की भूमि खसरा नम्बर 1478/1448 में 0.0005 हैक्टर भूमि पर लोहे की आलमारी (टिन) रखकर अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया है। हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की है उस जगह अपीलार्थी तथा अपीलार्थी के पूर्वज जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगा रहे है प्याऊ के घड़े आदि को सुरक्षित रखने के लिए लोहे का जाल टाईप बना रखा है कोई पुख्ता निर्माण नही किया है अपीलार्थी के विरूद्ध की गई 91 की कार्यवाही द्वेषपूर्ण है तथा अपीलार्थी को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही है। अपीलार्थी द्वारा घड़े आदि को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया जाल है। अपीलार्थी द्वारा घड़े आदि को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया जाल किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से नही है बल्कि परोपकार की भावना से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। जिसके बाबत हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट की है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा लेकिन दिनांक 18.10.2023 को अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो खिलाफ कानुन व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अदालत मातहत के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में विवादित भूमि

खसरा नम्बर 1478/1446 किस्म बजड़–1 राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने लोहे की आलमारी (टिन) रखकर अतिक्रमण किया है। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जाने पर साक्ष्य/जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने ना तो अदालत मातहत तथा ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो अपीलान्ट के कथन को सही साबित करता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2023 मुकदमा संख्या 47/2023 उनवानी सरकार बनाम अशोक कुमार अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु उप तहसीलदार सिंघाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:24 IST
Reason: SelfAttested